भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ /2011-12/68
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2011-12 — 1 जुलाई 2011
10 आषाढ़ 1933 (शक)

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/ 2010-11 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन अ।ेर विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 13वी मंज़िल केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंग मार्ग मुंबई 400001
Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13th floor, Central Office Bldg., Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001
टेलिफोन /Tel No:022-22661602 फैक्स/Fax No:022-22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

<u>मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण -लेखे पर टिप्पणियां</u>

प्रयोजन

वित्तीय विवरणों की "लेखे पर टिप्पणियां" में प्रकटीकरणों के मामले में अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उपर्युक्त विषय पर अनुदेशों को समेकित और अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी ।

संरचना

1.	**प्रस्तावना**	4
2.	**प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश**	4
2.1	पूंजी	4
2.2	आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण	4
2.3	चलनिधि	5
2.4	परिचालन परिणाम	5
2.5	प्रावधानों में घट-बढ़	6
2.6	पुनर्रचित खाते	6
2.7	प्रतिभूतीकरण कंपनी /पुनर्रचना कंपनी को बेची गयी आस्तियां	7
2.8	वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप	7
2.9	ब्याज दर डेरिवेटिव	7
2.10	गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	8
2.11	समेकित वित्तीय विवरण	8

2.11.1 समेकन का विस्तार 8

2.11.2 लेखा नीतियां 9

2.12. डेरिवेटिव में जोखिम 9

2.13 ऐसे एक्सपोज़र जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं का उल्लंघन किया है 9

2.14 कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) 9

2.15 लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण 10

2.16 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग के अंतर्गत रखे गए निवेश की बिक्री

टिप्पणी

I. सीआरएआर तथा अन्य मानदंड 10

II. आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण 10

III ऋण एक्सपोज़र 11

IV पूंजीगत निधियां 11

V 'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा 11

VI आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा 12

VII परिचालनगत परिणाम 12

VIII प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना 12

अनुबंध - I 13

ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता संघटकों के प्रकटन के लिए फार्मेट

अनुबंध - 2 15

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

मात्रात्मक प्रकटीकरण

अनुबंध - 3 17

अतिरिक्त प्रकटीकरण

अनुबंध - 4 परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित अपने वित्तीय विवरणों में किये गये प्रकटन के स्वरूप और पद्धति में विद्यमान व्यापक विभिन्नता को देखते हुए उनके द्वारा अपनायी गयी प्रकटन पद्धतियों में एकरूपता लाने तथा उनके कार्यों की पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2001 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानदंड लागू किये थे। ऐसे प्रकटन जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रभावी हुए थे और बाद में जिनमें वृद्धि की गई थी, "लेखे पर टिप्पणियां" के एक भाग के रूप में किए जाने अपेक्षित हैं, चाहे वही जानकारी प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अन्यत्र भी मौजूद क्यों न हो, ताकि लेखा परीक्षक उन्हें प्रमाणित कर सकें । ये प्रकटन केवल न्यूनतम हैं और यदि कोई वित्तीय संस्था कोई अतिरिक्त प्रकटन करना चाहती हो तो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

2. प्रकटीकरण अपेक्षाओं पर दिशानिर्देश

विविध प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

2.1 पूंजी

(क) जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) स्थायी जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात और अनुपूरक जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात

(ख) स्तर II की पूंजी के रूप में जुटायी गयी तथा बकाया अधीनस्थ ऋण की राशि

(ग) जोखिम भारित आस्तियां-तुलन पत्र में शामिल होनेवाली और शामिल न होनेवाली मदों के लिए अलग-अलग

(घ) तुलन पत्र की तारीख को शेयर धारिता का स्वरूप

2.2 **आस्ति गुणवत्ता और ऋण का सकेंद्रण**

(ङ) निवल उधारों तथा अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत

(च) निर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के तहत निवल अनर्जक आस्तियों की राशि और प्रतिशत

(छ) मानक आस्तियों, अनर्जक आस्तियों, निवेशों (अग्रिम के रूप में होनेवाले निवेशों को छोड़कर) आयकर हेतु वर्ष के लिए किये गये प्रावधानों की राशि

(ज) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(झ) निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों तथा कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र

- सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता ;
- सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह;
- सबसे बड़े 10 एकल उधारकर्ता;
- सबसे बड़े 10 उधारकर्ता समूह;

(उधारकर्ताओं/उधारकर्ता समूहों के नाम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है)

(ञ) कुल उधार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़े पांच औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो तो) को ऋण एक्सपोजर

2.3 **चलनिधि**

(ट) रुपया आस्तियों तथा देयताओं के संबंध में परिपक्वता अवधि का स्वरूप; तथा

(ठ) निम्नलिखित फार्मेट में विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं की परिपक्वता अवधि का स्वरूप

मदें	1 वर्ष या उससे कम	एक वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया आस्तियाँ						
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ						
कुल आस्तियाँ						
रुपया देयताएं						
विदेशी मुद्रा देयताएं						
कुल देयताएं						
जोड़						

2.4 **परिचालन परिणाम**

(ड) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय

(ढ) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय

(ण) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ

(त) औसत आस्तियों पर प्रति लाभ

(थ) प्रति कर्मचारी निवल लाभ

2.5 **प्रावधानों में घट-बढ़**

अनर्जक आस्तियों के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़ और निवेश संविभाग में मूल्यह्रास को निम्नलिखित फार्मेट में प्रकट किया जाना चाहिए :

I. **अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान (अग्रिम तथा अंतर-कंपनी जमा के रूप में ऋणों, बांडों तथा डिबेंचरों को शामिल करते हुए)**

(मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

<u>जोड़ें :</u> वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान

<u>घटाएं :</u> अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन, बट्टे खाते डालना

ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

II. निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान

ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष

<u>जोड़ें :</u>

i. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान

ii. वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि खाते से विनियोग, यदि कोई हो

<u>घटाएं :</u>

i. वर्ष के दौरान बट्टे खाते

ii. निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि खाते में अंतरण, यदि कोई हो

घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष

2.6 पुनर्रचित खाते

ऋण आस्तियों और पुनर्रचना आदि के अधीन अवमानक आस्तियों /संदिग्ध आस्तियों की कुल राशि अलग-अलग प्रकट की जाये ।

2.7 प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को बेची गयी आस्तियां

जो वित्तीय संस्थाएं अपनी वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को बेचती हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

क) खातों की संख्या

ख) प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्रचना कंपनी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)

ग) कुल प्रतिफल

घ) पहले के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल

ङ) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि

2.8. **वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप**

तुलन पत्र पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाने चाहिए :

- स्वैप करार का अनुमानिक मूल धन;
- स्वैप का स्वरूप और शर्तें जिसमें ऋण और बाज़ार जोखिम तथा स्वैप रिकार्ड करने हेतु अपनायी गयी लेखा नीतियों के संबंध में जानकारी शामिल हो ;
- करार के तहत प्रतिपक्ष द्वारा अपना दायित्व निभा न पाने पर हुई हानि की मात्रा ;
- स्वैप करने पर संस्था द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक जमानत;
- स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई सकेंद्रण। विशिष्ट उद्योगों से संबंधित एक्सपोजर या अत्यधिक अनुकूल कंपनी के साथ स्वैप संकेंद्रण के उदाहरण हो सकते हैं; और
- कुल स्वैप बही का "उचित" मूल्य । यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देयताओं या वायदों से संबद्ध किये गये हों तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो तुलन-पत्र की तारीख को संस्था प्राप्त करेगी या स्वैप करार समाप्त करने हेतु अदा करेगी। किसी व्यापारिक स्वैप के लिए उचित मूल्य आस्तियों का दैनिक बाज़ार मूल्य होगा ।

2.9 **ब्याज दर डेरिवेटिव**

एक्सचेंजों में ब्याज दर डेरिवेटिव का कारोबार करनेवाली वित्तीय संस्था तुलन-पत्र में 'लेखे पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में निम्नलिखित ब्योरा प्रकट करें :

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में लेनदेन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव व्यापार की कल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	

2	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की 31 मार्च .. . . . को बकाया कल्पित मूल धन राशि (लिखत वार) क) ख) ग)	
3	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया कल्पित मूल धन राशि और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	
4.	एक्सचेंजों में किये गये लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया राशि का बाज़ार मूल्य और जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखत वार) क) ख) ग)	

2.10 **गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश**

वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किये गये निवेशों के जारीकर्ता संघटकों के ब्योरे और अनर्जक निवेशों को तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' में अनुबंध 1 में दिये गये फार्मेट में प्रकट करें।

2.11 **समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)**

2.11.1 **समेकन का विस्तार** :

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुतकर्ता मूल संस्था को देशी और विदेशी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) के लेखांकन मानदंड -21 (एएस-21) के तहत जिन्हें विशिष्ट रूप में शामिल न करने की अनुमति दी गयी है ऐसी संस्थाओं को छोड़कर, सभी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरण समेकित करने चाहिए। किसी सहायक कंपनी का समेकन न करने के कारणों को समेकित

वित्तीय विवरण में प्रकट करना चाहिए। किसी खास संस्था को समेकन हेतु शामिल किया जाना चाहिए या नहीं यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी। यदि उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की यह राय है कि ऐसी कोई संस्था जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है, तो इस बारे में उन्हें "लेखे पर टिप्पणियां" में अपना अभिमत शामिल करना चाहिए।

2.11.2 **लेखा नीतियां** :

एक समान लेनदेनों और एक जैसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण बनाया जाना चाहिए। (इस प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थाएं सहायक संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये गैर-एक समान लेखा नीतियों के लिए समायोजन विवरणों पर निर्भर रहें।) यदि यह व्यवहार्य न हो, तो समेकित वित्तीय विवरण में ऐसे मदों के उस अनुपात के साथ तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए जिस अनुपात में भिन्न-भिन्न लेखा नीतियां लागू की गयी हैं।

2.12 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में प्रकटन

सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं के जोखिम के प्रति एक्सपोज़र के संदर्भ में अर्थपूर्ण और उचित प्रकटन तथा जोखिम प्रबंधन के लिए उनकी उचित कार्य नीति आवश्यक है। डेरिवेटिव्ज़ में अपने जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटन हेतु न्यूनतम ढांचा अनुबंध 2 में दिया गया है। प्रकटन फार्मेट में गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्ष शामिल हैं और इसे डेरिवेटिव्ज़ में जोखिमों की तुलना में ऋण आदि निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, उद्देश्यों और नीतियों के संबंध में स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' के एक भाग के रूप में वित्तीय संस्थाओं को ये प्रकटन 31 मार्च 2005 से शुरू करना चाहिए (राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में 30 जून 2005 से)।

2.13 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है

वित्तीय संस्था को उन एक्सपोजरों के मामले में जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का उल्लंघन किया है अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के "लेखे पर टिप्पणियां" में उचित प्रकटीकरण करने चाहिए।

2.14 कंपनी ऋण पुनर्रचना (सी डी आर)

वित्तीय संस्थाओं को सीडीआर के संबंध में वर्ष के दौरान अपने प्रकाशित वार्षिक लेखे में लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना चाहिए :

- सीडीआर के अंतर्गत पुनर्रचना के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि।
- सीडीआर के अधीन मानक आस्तियों की राशि।
- सीडीआर के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि।

2.15 वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण

रिज़र्व बैंक बैंकों के परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप व्यापक प्रकटीकरण निर्धारित करते हुए समय-समय पर अनेक उपाय करता आ रहा है।

मौजूदा प्रकटीकरणों की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2010 में समाप्त वर्ष से बैंकों के तुलनपत्रों के "लेखे पर टिप्पणियों" के अंतर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण निर्धारित किए जाएं :

I. जमाराशि, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) का संकेंद्रण
II. क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ
III. अनर्जक आस्तियों में घटबढ़ (कृपया सकल एन पी ए की गणना के लिए 26 मार्च 2010 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 9/01.02.00/2009-10 देखें)
IV. विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियाँ तथा आय
V. बैंकों द्वारा प्रायोजित तुलनपत्रेतर एस पी वी

निर्धारित फार्मेट अनुबंध 3 में दिए गए हैं।

टिप्पणियां :

(I) सीआरएआर तथा अन्य मानदंड

वित्तीय संस्थाओं के लिए वर्तमान पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार निर्धारित जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों को प्रकट किया जाये।

(II) आस्ति गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

आस्ति गुणवत्ता और ऋण के संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु, ऋण, अग्रिम तथा अनर्जक आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में लिया जाना चाहिए और प्रकटनों में शामिल किया जाना चाहिए :

(i) **बांड और डिबेंचर** : बांडों तथा डिबेंचरों को अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए जब :

- परियोजना वित्त के लिए प्रस्ताव के भाग के रूप में डिबेंचर/बांड का निर्गम किया गया हो और उस डिबेंचर/बांड की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक हो ।

और

- वित्तीय संस्था का निर्गम में उल्लेखनीय (अर्थात् 10% या उससे अधिक) हित निहित हो ।

और

- निर्गम निजी तौर पर शेयर आबंटन का भाग हो अर्थात् उधारकर्ता ने वित्तीय संस्था से संपर्क किया हो और ऐसे सार्वजनिक निर्गम का भाग न हो जहां वित्तीय संस्था ने किसी आमंत्रण पर अभिदान किया हो ।

(ii) **अधिमान शेयर** : परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को छोड़कर अधिमान शेयरों को परियोजना वित्त के भाग के रूप में प्राप्त किया हो और उपर्युक्त (i) में निहित मानदंड को पूरा करता हो ।

(iii) **जमाराशि** : कंपनी क्षेत्र में रखी गयी जमाराशि ।

(III) ऋण जोखिम (एक्सपोज़र)

"ऋण एक्सपोज़र" में निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं, हामीदारी और इसी प्रकार की अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी । ऋण आदि जोखिम की सीमा निश्चित करने के लिए स्वीकृत सीमाओं या बकाया में से जो भी अधिक हो उसे विचार में लिया जाएगा। तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में, ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना वास्तविक बकाया के आधार पर की जाए जिसमें असंवितरित या अनाहरित प्रतिबद्धताओं को जोड़ा जाये ।

तथापि, जिन मामलों में संवितरण शुरू करना अभी बाकी है, एक्सपोज़र सीमा, स्वीकृत सीमा या करार के अनुसार उधारकर्ता कंपनी के साथ वित्तीय संस्था ने जो वायदा किया है उस सीमा तक के आधार पर ऋण आदि जोखिम सीमा की गणना की जानी चाहिए ।

गैर-निधिक ऋण आदि जोखिम सीमा में विदेशी विनिमय और वर्तमान ऋण मानदंडों के अनुसार अन्य डेरिवेटिव्ज़ उत्पाद, जैसे मुद्रा स्वैप, ऑपशंस आदि में वायदा ठेकों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(IV) **पूंजीगत निधियां**

ऋण संकेंद्रण के प्रयोजन हेतु पूंजीगत निधियां पूंजी पर्याप्तता मानदंडों (अर्थात् पूंजी स्तर I और स्तर II) के तहत निर्धारित कुल विनियामक पूंजी होगी ।

(V) **'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा**

'उधारकर्ता समूह' की परिभाषा वही होगी जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा समूह निवेश मानदंडों के अनुपालन में लागू की जाती है ।

(VI) **आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता ढांचा**

आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता ढांचे के लिए वित्तीय संस्थाओं को आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विविध आस्तियों और देयताओं की मदों का समूहन (बकेटिंग) विनिर्दिष्ट समय बकेट में किया जाना चाहिए ।

(VII) **परिचालन परिणाम**

परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष की समाप्ति पर, अनुवर्ती छमाही की समाप्ति पर तथा रिपोर्ट के अधीन लेखा वर्ष के अंत में विद्यमान अंकों के औसत के रूप में लिया जाये । ("कार्यशील निधियों" का अर्थ है वित्तीय संस्था की कुल आस्तियां)

(VIII) **प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना**

प्रति कर्मचारी निवल लाभ को निकालने के लिए सभी संवर्गों के सभी स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को विचार में लिया जाना चाहिए ।

2.16 <u>परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संवर्ग में रखे गए निवेश की बिक्री</u>

यदि वर्ष के आरंभ में एचटीएम संवर्ग में धारित निवेश के बही मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियाँ एचटीएम संवर्ग में /से अंतरित/बिक्री की जाती है तो वित्तीय संस्था को एचटीएम संवर्ग में धारित निवेशों का बाजार मूल्य प्रकट करना चाहिए तथा बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य के आधिक्य को निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है । यह प्रकटीकरण वित्तीय संस्था के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में किया जाना चाहिए ।

अनुबंध I

ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता संघटकों के प्रकटन के लिए फार्मेट

क. किये गये निवेश के संबंध में जारीकर्ता की श्रेणियां

(तुलन-पत्र की तारीख को) (करोड़ रुपये)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	राशि			
			निजी तौर पर शेयर आबंटन के जरिए किया गया निवेश	'निवेश श्रेणी के नीचे वाली' धारित प्रतिभूतियां	श्रेणी निर्धारण न की गयी' धारित प्रतिभूतियां	'सूची में शामिल न की गई ' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम					
2	वित्तीय संस्थाएं					
3	बैंक					
4	निजी कंपनियां					
5	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम					
6	अन्य					
7	# मूल्यहरस के लिए प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल *					

कॉलम 3 में केवल धारित प्रावधान की कुल राशि प्रकट की जाए ।

* **टिप्पणियां :**

1. कॉलम 3 के जोड़ को तुलन पत्र की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ के साथ मेल खाना चाहिए :

क. शेयर

ख. डिबेंचर और बांड

ग. सहयोगी संस्थाएं/संयुक्त उद्यम

घ. अन्य

2. उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गयी राशियां आवश्यक रूप से परस्पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं होंगी ।

ख. अनर्जक निवेश

(करोड़ रुपये)

विवरण	राशि
आरंभिक शेष	
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां	
अंतिम शेष	
कुल धारित प्रावधान	

अनुबंध 2

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन

वित्तीय संस्थाएं व्युत्पन्न साधनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगी जो व्युत्पन्न साधनों के उपयोग की मात्रा संबद्ध जोखिम और कारोबार के साध्य प्रयोजनों के विशिष्ट संदर्भ को लेकर होंगी । चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल किये जाएंगे :

- व्युत्पन्न साधनों के व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु ढांचा और संगठन ।
- जोखिम के मापन, जोखिम रिपोटिंग्‍ं और जोखिम निगरानी प्रणालियों का विस्तार और स्वरूप ।
- प्रतिरक्षा और/या जोखिम कम करने हेतु नीतियां और प्रतिरक्षा/जोखिम कम करनेवाले घटकों के निरंतर प्रभाव की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं, और
- प्रतिरक्षा तथा गैर-प्रतिरक्षा के लेनदेन; आय, प्रीमियम और बट्टों का निर्धारण; बकाया ठेकों का मूल्यन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम कम करने के रिकाडिंग्‍ं हेतु लेखा नीति ।

मात्रात्मक प्रकटन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न साधन	ब्याज दर व्युत्पन्न साधन
1.	**डेरिवेटिव कल्पित मूलधन**		
	क) हेजिंग के लिए		
	ख) व्यापार के लिए		
2.	**प्रतिभूतियों की दैनिक बाज़ार मूल्य स्थिति** [1]		
	क) आस्ति (+)		
	ख) देयता (-)		
3.	**ऋण एक्सपोज़र** [2]		
4.	**ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव** (100*पीवी01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर		
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर		

5.	**वर्ष के दौरान अनुपालन किये गये 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम**		
	क) हेजिंग पर		
	ख) व्यापार पर		

टिप्पणी :

1. डेरिवेटिव के प्रत्येक प्रकार के लिए स्थिति के अनुसार आस्ति या देयता के अंतर्गत निवल स्थिति दर्शायी
जाये ।

2. वित्तीय संस्थाएं डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोज़र की माप पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू एक्सपोज़र पद्धति अपनाएं । अपनायी जानेवाली पद्धति संक्षेप में निम्नानुसार है :

चालू एक्सपोज़र पद्धति के तहत तुलन-पत्र बाह्य ब्याज दर तथा विनिमय दर लिखतों के सममूल्य ऋण एक्सपोज़र की गणना करने के लिए वित्तीय संस्था निम्नलिखित को जोड़ेगी :

- सकारात्मक मूल्यों (अर्थात् जब वित्तीय संस्था को प्रतिपक्ष से धन राशि प्राप्त होनी है) के साथ उसके सभी संविदाओं की कुल प्रतिस्थापन लागत ('बाज़ार मूल्य', के आधार पर प्राप्त), और

- ऋण एक्सपोज़र में भविष्य में संभावित परिवर्तन के लिए राशि जिसका परिकलन संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अनुसार निम्नलिखित ऋण परिवर्तक गुणकों द्वारा गुणा की गई संविदा की कुल कल्पित मूलधन राशि के आधार पर किया गया है :

शेष परिपक्वता अवधि	**आनुमानिक मूलधन राशि पर लागू किया जानेवाला परिवर्तक घटक**	
	ब्याज दर ठेका	**विनिमय दर ठेका**
एक वर्ष से कम	कुछ नहीं	1.0%
एक वर्ष और उससे अधिक	0.5%	5.0%

3。 डेरिवेटिव संविदाओं में प्रतिपक्षी ऋण एक्सपोजर के कारण बाजार दर पर आधारित मूल्यों (एमटीएम) की द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः, वित्तीय संस्थाओं को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के लिए ऐसी संविदाओं के बाजार दर पर आधारित सकाल धनात्मक मूल्य को ही गणना में शामिल करना चाहिए।

अनुबंध 3

अतिरिक्त प्रकटीकरण

1. जमाराशि, अग्रिम, एक्सपोज़र तथा अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

जमाराशि का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	

अग्रिमों का संकेंद्रण *

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	

* अग्रिमों की गणना एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र के अंतर्गत डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोज़र की दी गई परिभाषा के अनुसार की जानी चाहिए ।

एक्सपोज़र का संकेंद्रण**

(राशि करोड़ रुपये में)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोज़र	
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोज़र का प्रतिशत	

** एक्सपोज़र की गणना एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र के अंतर्गत निर्धारित ऋण और निवेश एक्सपोज़र के आधार पर की जानी चाहिए ।

<u>अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एक्सपोज़र	

<u>II : क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां</u>

क्रमांक	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	
2	उद्योग (माइक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	
3	सेवाएं	
4	वैयक्तिक ऋण	

III. <u>अनर्जक आस्तियों की घट-बढ</u>

ब्यौरे	राशि करोड़ रुपये में
संबंधित वर्ष के 1ले अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियां)	
उप-जोड़ (क)	
घटाएं :-	
(i) श्रेणी उन्नयन	
(ii) वसूली (जिन खातों का श्रेणी उन्नयन हुआ है उनसे वसूली को छोड़कर)	
(iii) बट्टे खाते	
उप-जोड़ (ख)	
अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (इति शेष) (क-ख)	

* 24 सितंबर 2009 के बैंपविवि परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 46/ 21.04.048/ 2009-10 के अनुबंध की मद सं. 2 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

IV. <u>विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और आय</u>

ब्यौरे	राशि (करोड़ रुपये में)
कुल आस्तियां	
कुल अनर्जक आस्तियां	
कुल आय	

V. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
<u>देशी</u>	<u>विदेश स्थित</u>

अनुबंध 4

भाग क

अधिक्रमण किए गए परिपत्रों तथा अनुदेशों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-18/ 01.02.00/ 2000-01	23.03.2001	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटन
2.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-14/ 01.02.00/ 2001-02	08.02.2002	प्रकाशित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटन
3.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -1/01.02.00/ 2004-05	26.04.2005	व्युत्पन्न साधनों (डेरिवेटिव्ज़) में जोखिम निवेश पर प्रकटन
4.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -2/01.02.00/ 2006-07	01.07.2006	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
5.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी -2/01.02.00/ 2007-08	02.07.2007	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड

भाग ख

प्रकटीकरण मानदंडों से संबंधित अनुदेश/दिशानिर्देश/निर्देशों के अन्य परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	डीबीएस. एफआइडी. सं. 20/ 02.01.00/1997-98	04.12.1997	एकल/सामूहिक उधारकर्ताओं को मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के ऋण निवेश संबंधी सीमाएं
2.	एमपीडी. बीसी. 187/07.01.279/ 1999-2000	07.07.1999	वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)
3.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-9/ 01.02.00/ 2000-01	09.11.2000	दिशानिर्देश - निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यन
4.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-19/ 01.02.00/ 2000-01	28.03.2001	पुनर्रचित खातों के संबंध में व्यवहार
5.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-26/ 01.02.00/ 2000-01	20.06.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - 2001-02 - ऋण एक्सपोज़र मानदंड
6.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-2/ 01.11.00/ 2001-02	25.08.2001	कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर)

7.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-6/ 01.02.00/ 2001-02	16.10.2001	निवेश के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश-आशोधन/ स्पष्टीकरण
8.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/ 2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
9.	आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03	03.06.2003	विनिमय व्यापार वाले ब्याज दर व्युत्पन्न साधनों पर दिशानिर्देश
10.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-5/ 01.02.00/ 2003-04	01.08.2003	समेकित लेखा-प्रणाली तथा समेकित पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश
11.	डीबीएस. एफआइडी.सं. सी-11/ 01.02.00/ 2003-04	08.01.2004	वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश
12.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.8/01.02.00/2009-10	26.3.2010	**लेखे पर टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटीकरण**
13.	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.8/01.02.00/2009-10	26.3.2010	**अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए स्तरों की गणना**
14	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.. 5/01.02.00/2010-11	18 अगस्त 2010	परिपक्वता तक धारित संवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री
15	बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 8/01.02.00/2010-11	2 नवंबर 2010	बैंकों के तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़रों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोज़रों की द्विपक्षीय नेटिंग